

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक 1.3 (212)/नविवि/3/2011

जयपुर, दिनांक 04 OCT 2012

आदेश

राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 31 एवं राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा निम्नांकित प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करते हुए भवन निर्माण अवधि बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान करती है :-

1. राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 14(ए) के अन्तर्गत नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों पर निर्धारित 10 वर्ष की अवधि में भी भवन निर्माण नहीं करने के कारण निरस्त भूखण्डों की भवन निर्माण अवधि को दिनांक 30.06.2013 तक बढ़ाकर निर्धारित राशि वसूल कर प्रकरण नियमित किया जावे। -
2. राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 17 (6) (बी) के अन्तर्गत तथा राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 17 (6) (सी) के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन के पश्चात् भवन निर्माण हेतु निर्धारित भवन निर्माण अवधि को दिनांक 30.06.2013 तक बढ़ा कर निर्धारित राशि वसूल कर नियमित किया जावे।
3. भूखण्डों के स्वतः निरस्त होने की दिनांक के निर्धारण के लिए नीलामी से क्रय किये गये भूखण्ड एवं आवंटित भूखण्ड दोनों ही पर भवन निर्माण हेतु निर्धारित अवधि की गणना भूखण्ड का कब्जा सुपुर्द करने की दिनांक अथवा योजना के जिस सैक्टर में आवंटित भूखण्ड/नीलामी में क्रय किया गया भूखण्ड स्थित है उसमें सड़क, पेयजल एवं विद्युत वितरण व्यवस्था सम्बन्धी विकास कार्य कराने की दिनांक में से जो भी बाद की दिनांक है को माना जाना उचित होगा। उक्त दिनांक के पश्चात् निर्धारित अवधि में भूखण्ड पर निर्माण नहीं करने की स्थिति में भूखण्ड स्वतः निरस्त माना जायेगा।

उक्त आदेश तुरंत प्रवृत्त होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

DF/R2384
10/10

DF/R2249
11/10/12

53